न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर
बेईजलास– श्री दीपांशु सांगवान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र 66/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
मो. अली पुत्र गुलाम हुसैन जाति मुसलमान निवासी बासनी बेलिमा तहसील व जिला नागौर		राज. सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थिति :–
1. श्री नटवारलाल गौड़ वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

––::––

आदेश

दिनांक :– 3/10/19

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी के कब्जे काश्त व सहखातेदारी के खेत वाके मौजा बासनी बेलिमा तहसील नागौर में खसरा नम्बर 852 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। उक्त खेत के साबिका खसरा नम्बर 851 थे जिसके बाद में नये खसरा नम्बर 851 व 852 बने। जिनमें से खसरा नम्बर 851 का बेचान पूर्व में हो रखा है तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 852 प्रार्थी के पिता की खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा की खतौनी, राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम गुलाम हुसैन दर्ज था। सेटलमेंट के समय खातेदारी इन्द्राज के समय कर्मचारी से स्लीप ऑफ पेन की त्रुटि के चलते प्रार्थी के पिता गुलाम हुसैन के स्थान पर नाम गुलाम मोहम्मद दर्ज हो गया, जिसकी जानकारी प्रार्थी के पिता को उसके जीवनकाल में नहीं हो सकी, कालान्त में प्रार्थी के पिता गुलाम हुसेन का इन्तकाल हो गया। फौतगी नामान्तरकरण भरवाने हेतु पटवारी हल्का ये यह जानकारी हुई कि खतौनी में प्रार्थी के पिता का नाम गुलाम हुसैन दर्ज न होकर गलती से गुलाम मोहम्मद दर्ज हो रखा है। इसलिए फौतगी म्यूटेशन दर्ज नहीं हो सकने की जानकारी दी। इसलिए उक्त खसरा के रेकर्ड में गुलाम मोहम्मद के स्थान पर गुलाम हुसैन दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती के आदेश देते हुए तहसीलदार को तहरीर जारी करवाने का निवेदन किया।
2. बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील ने बहस के दौरान बताया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त का खेत मौजा बासनी बेलिमा तहसील नागौर स्थित खसरा नम्बर 852 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का

सहायक कलक्टर (SDO), नागौर

नाम गुलाम मोहम्मद के स्थान पर गुलाम हुसैन गलत दर्ज हो रखा है। जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम गुलाम हुसैन होने से राजस्व रेकर्ड में गुलाम हुसैन दर्ज किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल खतौनी सम्वत 2011-14 पेश की जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम गुलाम हुसैन दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र इत्यादि दस्तावेजात पेश किये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी के कब्जे काश्त व पुश्तैनी खातेदारी के खेत वाके मौजा बासनी तहसील नागौर के खसरा नम्बर 852 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा में प्रार्थी के पिता का गलत दर्ज नाम गुलाम मोहम्मद के स्थान पर सही नाम गुलाम हुसैन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

सहायक कलक्टर
महायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर
(SDO)

आदेश आज दिनांक 3/10/2019 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
महायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर